न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 117/2019 – निगरानी

1. भैरूलाल पिता नानूराम तेली निवासी रायला तहसील बनेडा	बनाम	1. श्रीमती श्रृंगारी देवी पत्नी लादूलाल कुम्हार निवासी रायला 2. सत्यनारायण पिता लादूलाल कुम्हार निवासी रायला 3. लक्ष्मण पिता लादूलाल कुम्हार निवासी रायला 4. गोविन्दराम पिता नन्दराम तेली निवासी रायला 5. ग्राम पंचायत रायला जरिये सचिव एवं वर्तमान सरपंच शिव दयाल छीपा पंचायत रायला 6. श्रीमती विमला देवी पत्नी रतन लाल सोमानी पूर्व सरपंच पंचायत रायला तहसील बनेडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत रायला पटटा संख्या 69 दिनांक 01.06.2012

उपस्थित –

1. श्री आर.एल. विजयवर्गीय अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 04 उपस्थित नही – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 16/5 .2020

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ग्राम रायला का नागरिक हैं एवं यह रिवीजन ग्राम पंचायत रायला के हितों को सुरक्षित रखने के लिये जनहित में प्रस्तुत की जा रही है। गैर निगराकार को भूखण्ड का पटटा नियम 157 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत बिना किसी कार्यवाही के, बिना पंचायत कोरम के फर्जी प्रोसेडिंग बनाकर जारी कर दिया। पंचायत ने कोई प्रस्ताव भूमि विक्रय के संबंध में नियम 147 के अन्तर्गत नही लिया, न किसी प्रस्ताव को विधिवत् नोटिस निकाल कर प्रसारित किया, न प्रस्ताव के संबंध में विधिवत् आपत्तियां मांगी गयी, न प्रस्ताव के पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया गया। न ओक्सन कमेटी का गठन किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत रायला ने नियम 147 से नियम 151 तक के प्रावधानों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। रायला से ग्राम में डी.एल.सी. रेट से भूमि की कीमत कम से कम 90 वर्गमीटर से अधिक हैं, फिर भी उक्त पटटा मात्र 10/–रूपये प्रति वर्गमीटर से राशि वसूल कर दे दिया गया। उक्त प्रकार से पंचायत की भूमि को तत्कालिक सरपंच ने नियमों के विरूद्व जाकर अनाधिकृत लाभ प्राप्त कर लादुलाल कुम्हार के पक्ष में 01.06.2012 को फर्जी पटटा प्रदान कर दिया, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि रिविजन स्वीकार की जाकर लादूलाल कुम्हार के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 01.06.2012 को निरस्त किया

जाकर पटटे की भूमि को पंचायत को वापस दिलाई जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 13.04.2018 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 04 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 16.05.2018 को किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 03.12.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 09 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार को भूखण्ड का पटटा नियम 157 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत बिना किसी कार्यवाही के, बिना पंचायत कोरम के फर्जी प्रोसेडिंग बनाकर जारी कर दिया। पंचायत ने कोई प्रस्ताव भूमि विक्रय के संबंध में नियम 147 के अन्तर्गत नही लिया, न किसी प्रस्ताव को विधिवत् नोटिस निकाल कर प्रसारित किया, न प्रस्ताव के संबंध में विधिवत् आपत्तियां मांगी गयी, न प्रस्ताव के पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया गया। न ओक्सन कमेटी का गठन किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत रायला ने नियम 147 से नियम 151 तक के प्रावधानों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। रायला से ग्राम में डी.एल.सी. रेट से भूमि की कीमत कम से कम 90 अ वर्गमीटर से अधिक हैं, फिर भी उक्त पटटा मात्र 10/–रूपये प्रति वर्गमीटर से राशि वसूल कर दे दिया गया। उक्त प्रकार से पंचायत की भूमि को तत्कालिक सरपंच ने नियमों के विरूद्व जाकर अनाधिकृत लाभ प्राप्त कर लादुलाल कुम्हार के पक्ष में 01.06.2012 को फर्जी पटटा प्रदान कर दिया, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निवेदन हैं कि रिविजन स्वीकार की जाकर लादूलाल कुम्हार के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 01.06.2012 को निरस्त किया जाकर पटटे की भूमि को पंचायत को वापस दिलाई जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत रायला ने प्रार्थी लादूलाल पिता कल्याणमल कुम्हार निवासी रायला द्वारा रियायती दर से पटटा बनाने के आवेदन किये जाने पर राजस्थान पंचायती नियम 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पटटा फीस 10/–रू. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रूपये 1255/– जमाकर क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट का पटटा दिनांक 01.06.2012 को जारी किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन इस प्रकार हैं –

(1) पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल /गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 158(1) के तहत सरपंच ग्राम पंचायत रायला

द्वारा रियायती दर से आवासीय भूखण्ड का आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत रायला खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत रायला पटटा सं. 69 दिनांक 01.06.2012 को यथावत रखा जाता है। अति. सिविल न्यायाधीश (क ख) पश्चिम भीलवाडा के प्रकरण संख्या 48/2010 ई.दी. उनवान प्रकरण कल्याण कुम्हार बनाम ग्राम पंचायत रायला में पारित निर्णय अनुसार उभयपक्षों का पालना करनी होगी। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत रायला पंचायत समिति सहाड़ा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा